

16th July, 2021

BSE Limited,
Floor – 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai –400 001

Scrip Code: 505729

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)

Dear Sir/ Madam,


Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with circular No. 20/2020 dated May 5,2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, we are enclosing the scan copies of advertisement published in 'Indian Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi) on 16th July, 2021 inter alia, intimating that 43rd Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 23rd September, 2021 at 3:00 PM (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) and matters related thereto.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours faithfully

For **Singer India Limited**



Priyanka Gandhi
Company Secretary

Encl: As above

SINGER INDIA LIMITED

Registered & Head Office : A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044

Tel. : +91-11-40617777 Fax : +91-11-40617799 Toll Free No. 1800-103-3474

E-mail : mail@singerindia.net Website : www.singerindia.net

CIN : L52109DL1977PLC025405



FAMILY
Abedin's brother Imdadul Haque

Baksa district area on April 26 and sold them in Bihar's

cows and had the papers for them. So my father went to the

will only be an increase of such incidents."

Khatanga Pakartoli lice said.

There may be illegitimate parents, but no illegitimate kids: Karnataka HC

EXPRESS NEWS SERVICE
BENGALURU, JULY 15

RELYING on a 2019 Supreme Court order, the Karnataka High Court has ruled that children from marriages with no legitimacy under the Hindu personal law are eligible for jobs on compassionate grounds.

Considering the Supreme Court ruling in the 2019 V R Tripathi case, along with Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955 and provisions of the Special Marriage Act, 1954, which confer legitimacy on children from illegitimate marriages, a division bench of the high court observed that all children – irrespective of the personal laws governing the marriage of their parents – should be eligible for jobs on compassionate grounds.

The bench of Justices B V Nagarathna and Hanchate Sanjeev Kumar made the ruling and observations in the course of an appeal filed by a youth seeking a job with the Karnataka Power Transmission Corporation Limited on compassionate grounds following the death of his father, a KPTCL employee, in 2014.

The job was denied on the grounds that he was born to the second wife of the employee and on account of the second marriage occurring while a first marriage was in still existence.

The High Court, while ordering KPTCL to consider the youth's job application, quashed a KPTCL circular of September 2011, which said that a second wife or her children are not eligible for compassionate appointments "if a marriage has taken place during the subsistence of a first marriage".

"A child has no role to play in his/her birth. Hence, law should recognise the fact that there may be illegitimate parents, but no illegitimate children. Therefore, it is for Parliament to bring about uniformity in law vis-à-vis legitimacy of children," the court observed in its recent order.

"The judgment in V R Tripathi is in the context of Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955, which is the personal law of Hindus concerning, inter alia, validity of a Hindu marriage. But, in this case, we are concerned with regard to the right of a child born out of a void marriage irrespective of the personal law under which the marriage might have taken place to seek appointment on a compassionate basis," the court said.

"In our view, conferring legitimacy is, not only under the Hindu Marriage Act, which is the personal law for Hindus, but such legitimacy is also conferred to the children born out of void or voidable marriages solemnised under the provisions of the Special Marriage Act, 1954," it said.

SINGER INDIA LIMITED

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

Regd. Office & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044

Tel: +91-11-40617777, Toll Free No. 1800-103-3474

E-mail: secretarial@singerindia.net, mail@singerindia.net, Website: www.singerindia.net

NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on **Thursday, 23rd September, 2021 at 03:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and Jan 13, 2021 respectively ("MCA Circulars"), Circular dated May 12, 2020 and Jan 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In Compliance with the above-mentioned Circulars, the Notice of 43rd AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent electronically by the Company to those Members who have registered their email IDs with the Company/ M/s MCS Share Transfer Agents Ltd. ("RTA") and Depository Participant(s) ("Depository"). As per the MCA circular/s and the SEBI circulars no physical/hard copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member. The Notice of AGM and Annual Report will also be available at the website of the Company (www.singerindia.net) and at BSE Limited (www.bseindia.com).

Detailed instructions for attending the AGM and casting votes through Remote e-voting and e-voting at the AGM is being provided in the Notice of 43rd AGM.

Further, Members of the Company who have not registered their e-mail addresses can also attend the AGM and vote by following the procedure being provided in the Notice of AGM.

The Members of the Company who have not registered their email addresses can register the same as per the following procedure:

- Members holding shares in physical form may get their email ids registered by submitting necessary details like Folio No., Name of shareholder along with scanned copy of valid share certificate (front and back both), PAN card (self attested copy), AADHAR card (self attested copy), email id and mobile number by email to Company at secretarial@singerindia.net /RTA email id at bonds@mcsregistrars.com & admin@mcsregistrars.com
- Members holding shares in dematerialized form may also temporarily get their e-mail id registered by providing the Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN card (self attested copy), AADHAR card (self attested copy) to Company at secretarial@singerindia.net / RTA email id at bonds@mcsregistrars.com & admin@mcsregistrars.com. It is clarified that for permanent registration of email address, the Members are requested to register the same with their respective Depository Participant.

Members are requested to update their complete bank details with their depositories (where shares are held in demat mode) and update with Company's RTA (where shares are held in physical form) by providing signed request letter with folio no., self-attested cancelled cheque leaf, PAN card (self attested copy), AADHAR card (self attested copy) to receive the dividend directly into their bank account. Pursuant to Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a company on or after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of Members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of final dividend at the prescribed rates. For prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof.

The members are requested to update their PAN with the Depository Participant (if shares are in demat mode) and RTA (if shares are in physical form).

This Notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable Circulars of MCA and SEBI.

For SINGER INDIA LIMITED
Sd/-

Priyanka Gandhi
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 15.07.2021

YES B

Whereas, The undersig of Financial section 13(12) **December 1** **Mortgagors** **Krishan Ahu** **Mrs. Sunita** to repay the **Lacs Eighty** plus accrued charges, etc.

The Borrow Borrower/M Officer of YE of powers co Interest (Enf

The Borrow not to deal **YES BANK L** **Thousand E** interest/unre till the date o

The Borrowe the Act, in re

All that pie **Rajouri Gar** **Vaneet Kur**

Date : 12th July
Place : New D

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उनका नियमवली) के नियम 3(1) के साथ पठित विधायक परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उनका अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनका नियमवली के नियम 3 के साथ पठित उनका अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रकृतियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर अग्रधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना (ओ) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्वारा अग्रधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ प्राई नोचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। अग्रधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा अग्र राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार है:

| अग्रधारकों, मांगवली का नाम | मांग सूचना तिथि एवं तिथि | प्रतिभूति परिसम्पत्ति (आवक सम्पत्ति) का विवरण |
|---|---|--|
| श्री अशोक बंसल श्री सुनील शर्मा (एफसीएन 886170) (एफसीएन 886170) (एफसीएन 886170) | 12 जुलाई, 2021, ऑनलाइन नं. 886170 रु. 5,50,000.00 (रु. पाँच लाख पचास हजार अठारह हजार पाँचसठसठ) (रु. पाँच लाख अठारह हजार पाँचसठसठ) (रु. पाँच लाख अठारह हजार पाँचसठसठ) | 1. निम्न बेनेफिटर्स एवं पुराल, पुनः जल पर एक और को छोड़कर (मांग 10 x 20 वर्ग फीट), बीरपुर ताल के उपर समुद्र तल से अधिकतम के साथ, कुल मांग 141.67 वर्ग मी., बिहार नं. 450 में सम्पत्ति को गुलामकान्त एफएन, नई दिल्ली-110019 में स्थित है, का सभी भाग वापस लौटाने। 2. निम्न सम्पत्ति का आनेक-994, प्लॉट नं. 23, गुलामकान्त एफएन, नई दिल्ली-110019 में स्थित है, का सभी भाग वापस लौटाने। |

यदि उक्त अग्रधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल अग्रधारकों को जोड़ियों एवं लानर पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) नाम लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उनका प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया शाखा कार्यालय, प्लॉट नं. 30/303, ऊपर भी ताल, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जवाहर नगर के सामने, मोतीनगर, नई दिल्ली अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम, हरियाणा में सम्पर्क करें।
स्थान: दिल्ली, तिथि: 16.7.2021
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. के लिये

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कोर्ट नगर, नई दिल्ली-110015
CIN: L51909DL1983PLC015585, टेली: 011-41426055,
ईमेल: vkgandhi@ambintl.in, वेबसाइट: www.abmintl.in

प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी में कटौती की सूचना
(सीपी-15/एनडी/2021), कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ "एनसीएलटी" ने अपने आदेश तिथि 6 जुलाई, 2021 के माध्यम से यहां नीचे निर्दिष्ट विवरणों को स्वीकार कर कम्पनी की "शेयर पुंजी में कटौती" की स्वीकृति दी है:

"एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड की प्रदत्त इक्विटी शेयर पुंजी अब से रु. 10/- पूर्णतः प्रदत्त के 94,08,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित रु. 9,40,80,000/- होगी। इस विवरणों के पंजीकरण की तिथि पुंजी की कटौती से पूर्व) विशिष्ट सं. 1 से 1,17,60,000 के अंतर्गत रु. 10/-प्रति के 1,17,60,000 इक्विटी शेयरों निर्गत किये गये हैं जिसे पूर्णतः प्रदत्त माना गया है।"

यह विज्ञापन उसके आदेश तिथि 6 जुलाई, 2021 में एनसीएलटी के निर्देशानुसार प्रकाशित की जा रही है। पुनः उक्त आदेश की प्रकाशित प्रति कम्पनी द्वारा 14 जुलाई, 2021 को कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के पास दायित्व की गई थी।

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
विरेंद्र कुमार गंधी
(प्रबंध निदेशक)
तिथि: 15 जुलाई, 2021
स्थान: नई दिल्ली
DIN: 00244762

FORM WIN 6

[See Rule 7]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
BENCH AT NEW DELHI

IN THE MATTER OF BWI AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
(Company incorporated under Companies Act, 1956)

Petition No. CP-85(ND) of 2021

BWI AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITEDPetitioner

Advertisement of petition

Notice is hereby given that a petition for the winding up of the above-named company by the Hon'ble National Company Law Tribunal (Court - III) at New Delhi was, on the day of July 2, 2021, presented to the said Hon'ble Tribunal by the said company and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Tribunal on the day of August 24, 2021. Any contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his representative notice of his intention signed by him or his representative with his name and address so as to reach the petitioner or his representative not later than five days before the date fixed for the hearing of the petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his representative. A copy of the petition shall be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same. Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in the Hon'ble Tribunal and a copy served on the petitioner or his representative not less than five days before the date fixed for the hearing.

Representative for Petitioner
Rakesh Kumar
Neeraj Prakash
Chadha & Co.
Advocates and Legal-Consultants
S-327, Greater Kailash II, New Delhi-110048
Tel.: +91 11 4383 0000, Email: info@chadha-co.com

सिंगर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालय: ए-26/4, द्वितीय तल, मोहन कोऑपरेटिव

इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044

टेली: +91-11-40617777, टोल फ्री नं. 1800-103-3474

ई-मेल: secretarial@singerindia.net, mail@singerindia.net, वेबसाइट: www.singerindia.net

43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित समान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुद्धस्यतिवार, 23 सितम्बर, 2021 को अप. 3.00 बजे (बाईएफटी) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अथवा ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के अनुपालन में, 43वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी द्वारा उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर जेंट्स लि. ("आरटीए") और डिपॉजिटरी प्रत्यागामी ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार 43वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की मौखिक/हार्ड प्रतियां किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.singerindia.net) और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी।

एजीएम में भाग लेने एवं रिपोर्ट-वोटिंग के माध्यम से वोट देने तथा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश 43वीं एजीएम की सूचना में दिये जा रहे हैं।

इसके अलावा, कंपनी के सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं और एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट दे सकते हैं।

कंपनी के सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकृत करा सकते हैं:

1. फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., वैध शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे दोनों) की स्कैन की गई प्रति के साथ शेयरधारक का नाम, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर को कंपनी के ई-मेल: secretarial@singerindia.net /आरटीए के ई-मेल bonds@mcsregistrars.com व admin@mcsregistrars.com पर भेजकर अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं।
2. डिजिटल/रिजल्टड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण भी अपना डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंकों का लामार्श आईडी या एनएसडीएल-16 अंकों का डीपीआईडी+सीएसआईडी), नाम, वलाइड मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति) को कंपनी के ई-मेल: secretarial@singerindia.net / आरटीए के ई-मेल bonds@mcsregistrars.com व admin@mcsregistrars.com पर व भेजकर अस्थाई रूप से अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थाई पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी प्रत्यागामी के पास पंजीकृत कराएं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लामार्श प्राप्त करने के लिए अपने डिपॉजिटरीज (जहां शेयर डिमेट प्रारूप में धारित हैं) के साथ अपना पूरा बैंक विवरण अपडेट कराएं और फोलियो नं., स्व-सत्यापित निरस्त चेक, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति) के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र देकर कंपनी को आरटीए (जहां शेयर मौखिक प्रारूप में धारित हैं) के पास अपडेट कराएं। वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में यह अनिवार्य किया गया है कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कंपनी द्वारा भुगतान किया गया या वितरित किया गया लामार्श सदस्यों की ओर करयोग्य होगा। इस प्रकार कंपनी को अंतिम लामार्श का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटना होगा। विभिन्न त्रैणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और चसके किये गये संशोधनों का अवलोकन करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी भागीदार (यदि शेयर डिमेट प्रारूप में हैं) और आरटीए (यदि शेयर मौखिक प्रारूप में हैं) के साथ अपना पैन अपडेट करें।

यह सूचना एमसीए एवं सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों के लिए सूचना एवं लाभ के लिए जारी की जा रही है।

कृते सिंगर इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
प्रियंका गंधी
कंपनी सचिव

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

हीरो फिनकोर्प लिमिटेड

सीआइएन : L74899DL1991PLC046774

पंजीकृत कार्यालय: 34, कम्यूनिटी सेंटर, वसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली 110057
दूरभाष : 011-49487150 फैक्स : 011-49487150 ई-मेल : litigation@herofinco.com वेबसाइट : www.herofinco.com

"परिशिष्ट-IV-ए" [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित विधायक परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफाएशी अधिनियम, 2002) के अन्तर्गत प्रकृतियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर अग्रधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना (ओ) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्वारा अग्रधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ प्राई नोचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। अग्रधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा अग्र राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार है:

यदि उक्त अग्रधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल अग्रधारकों को जोड़ियों एवं लानर पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) नाम लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उनका प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपया शाखा कार्यालय, प्लॉट नं. 30/303, ऊपर भी ताल, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जवाहर नगर के सामने, मोतीनगर, नई दिल्ली अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम, हरियाणा में सम्पर्क करें।
स्थान: दिल्ली, तिथि: 16.07.2021
हस्ता./-
पंकज जैन
निदेशक

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (DELHI/07/3)
14TH FLOOR, JEWAN BUILDING PARLIAMENT STREET,
NEW DELHI-110001 CA. NO. 047/152019
Summons under section 41 of section 19 of the Act, read with sub-rule 2(A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure), Rules, 1983.
Edn. No.2313
ICICI BANK LTD. - APPLICANT
VERSUS M/S SHREE LAXMI INDUSTRIES (INDIA) DATA TO.
(1) M/s Shree Laxmi Industries (India) Data through its Proprietor Sh. Sandeep Datta, S/o Sh. Satish Kumar Datta, C-242, Patel Chowk, Sgm Nagar, Faridkot-151001, Haryana, Faridkot, Haryana-121001
SUMMONS
WHEREAS, CA/152019 was filed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 23/04/21.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/note on the said Application under section 19(4) of the Act (A) filed against for recovery of debts of Rs. 177896.80/- (application along with copies of documents etc. annexed) in accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:-
(1) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
(2) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3(A) of the original application;
(3) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or other assets and properties disclosed under serial number 3(A) of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
(4) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of the business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3(A) of the original application without the prior approval of the Tribunal.
(5) you shall be liable to account for the said proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institution holding security interest over such assets.
(6) You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 23/07/2021 at 10:30AM failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Tribunal on this date, 26/04/2021
Signature of the Officer
Authorized to issue summons.

पॉलि मेडिकवोर लिमिटेड
पंजी. कार्या: 232-बी, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020
सीआइएन: L40300DL1995PLC066923
फोन: 011-33550700, फैक्स: 011-26321894
ईमेल: investorcare@polymedivore.com
वेबसाइट: www.polymedivore.com
स्थान
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 29 जुलाई, 2021 को अथवा उसके बाद के साथ आयोजित की जाएगी।
• सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं के विनियम 33 के अनुसार, 30 जुन, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंसॉलिडेटेड अनकेशिड आईएनडी-एस के अनुरूप वित्तीय परिणामों के साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट पर विचार और अनुमोदन हेतु।
• किसी भी अन्य मामलों को संचालित करने के लिए जो बोर्ड उचित समझे।
कृते पॉलि मेडिकवोर लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 15.07.2021
अविनाश चंद्रा
कंपनी सचिव

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष कम्पनी अधिनियम 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(4) तथा कम्पनी (निगम) पंचवक्ता संशोधन नियमवली, 2019 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के मामलों में तथा
मै. जैनसम हबो लेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 458-466, एफएफ, गली नं. 8, रामनाथ कमांडवट, फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी.रोड, शाहदरा दिल्ली-110095, भारत

..... आवेदक एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.स. क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तराखंड राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय पर परिवर्तन के लिए कंपनी को समय बचाने के लिए 5 जुलाई, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में परित विधि प्रस्ताव के अग्रसार कंपनी के मेमोर्डैंड ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन को पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित को प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक सचप पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति शाखा कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, शाखा बी-2 थिंग, 27 तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, में जमा करें या जमा करण पर पंजीकृत डाक से भेजें: 458-466, एफएफ, गली नं. 8, रामनाथ नाथ कमांडवट, फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी.रोड, शाहदरा दिल्ली-110095, भारत
कृते एवं के लिये मै. जैनसम हबो लेस प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
पंकज जैन
निदेशक
तिथि: 16.07.2021